एक नजर में

चेम्बर भवन पर झण्डा वंदन

ग्वालियर 27 जनवरी .7 77वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा चेम्बर भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया7 इस अवसर पर आपने सदस्यों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें देते हुए कहा कि भारत विश्व पटल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल द्वारा एवं आभार कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया7 इस अवसर पर संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल सहित पूर्व अध्यक्ष-डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल, पूर्व संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, पूर्व उपाध्यक्ष-ओमप्रकाश अग्रवाल, राधाकिशन खेतान, पारस जैन, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-पीताम्बर लोकवानी, पूर्व कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल उपस्थित रहे।

झांसी की रानी, भगतसिंह, आजाद बनकर नन्हे बच्चों ने कहा जय हिंद

ग्वालियर। 77वें गणतंत्र दिवस पर जीवाजी नगर, थाटीपुर स्थित रेडोलेंट प्री-किड्स स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश भक्ति के गीतों पर अपनी-अपनी प्रस्तुति दी। झांसी की रानी, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की वेशभूषा धारण कर आए बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। नन्ही हृदेसा ने झांसी की रानी के अवतार में अपनी प्रस्तुति से विशेष रूप से सबका दिल जीत लिया। जब इन बच्चों ने स्कूल परिसर में जय हिंद के नारे लगाए तो नन्हे बच्चों का जोश-उत्साह देखकर साथ में टीचर भी अपने हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलते नजर आए। इस अवसर पर स्कूल को देशभक्ति की थीम पर विशेष रूप से सजाया गया था। एक घंटे तक पूरा परिसर देशभक्ति के गीतों से गुंजायमान रहा। प्राचार्य मधुलिका पहारिया ने बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व समझाया और उन्हें देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिठाई बांटी गई, जिसे पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे।

संघ कार्यालय पर फहराया तिरंगा

ग्वालियर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विवेकानंद मार्ग स्थित ग्वालियर विभाग कार्यालय राष्ट्रोत्थान न्यास भवन पर विभाग संघचालक प्रह्लाद सबनानी ने राष्ट्रध्वज फहराया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देशहित में कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर शशिकांत शर्मा, ललित कुमार, हरिप्रसाद गुप्ता, विजय गुप्ता, नरेन्द्र कुंटे, नंदकिशोर अग्रवाल, डॉ. लोहिया, मुरली सविता, मनोज जुनेजा, आशीष पांडेय, नितिन, रोहित, दिनेश आदि उपस्थित रहे।

देशभक्ति के तरानों से दी शहीदों को श्रद्धांजलि

ग्वालियर. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हेम सिंह की परेड स्थित त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। देशभक्ति के तरानों से सजी इस शाम में शहर के नागरिकों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि 90 वर्षीय कर्नल आर.सी. सक्सेना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के संरक्षक रमेश अग्रवाल एवं श्रीमती समीक्षा गुप्ता उपस्थित रहीं। ?संस्था के संरक्षक रमेश अग्रवाल, समीक्षा गुप्ता एवं अध्यक्ष विजय गर्ग ने सभी गायक कलाकारों का 'यूथ हॉस्टल अंग वस्त्र' पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। एसोसिएशन के सचिव व प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण मिश्रा ने संस्था द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु किए जा रहे प्रयासों और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले झंडा वंदन व महापुरुषों की जयंती कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम के संयोजक प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं साहित्यकार डॉ. एन.एन. लाहा रहे। 'सांझा म्यूजिकल ग्रुप' के लोकेश गोले के नेतृत्व में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। डॉ. एन.एन. लाहा ने मेरा रंग दे बसंती चोला, संतोष दास ने ऐ मेरे प्यारे वतन, हर्षिता ने ऐ मेरे वतन के लोगों, प्रदीप सगरीया ने ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, कमल किशोर ने कर चले हम फिदा जान-ओ-तन साथियों, लोकेश गोले ने चिठ्ठी आई है वतन से इसके अलावा बिजेन गुप्ता, बाल किशन डागोर, आशीष लखेरे, रश्मि, मुकेश, भूपेंद्र, सोनू समद, सुदीप और विनोद ने अपनी सुरीली आवाजों में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ जोश और उत्साह के बीच हुआ।

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया महायुद्ध सीजन 3 टूर्नामेंट का समापन

ग्वालियर .माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर में आयोजित बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया महायुद्ध सीजन 3 टूर्नामेंट का 24-25 जनवरी को सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस भव्य आयोजन का मुख्य आयोजनकर्ता स्कायरोड्समिट्स रहा। इस टूर्नामेंट में कॉलेज के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, वहीं प्रतियोगिता को देखने के लिए 150 से अधिक दर्शक उपस्थित रहे। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी रणनीतिक क्षमता, टीमवर्क और गेमिंग कौशल का परिचय दिया। इस आयोजन को ज़ीरो एरर ई-स्पोर्ट्स का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्रायोजक के रूप में कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिससे दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। महायुद्ध सीजन 3 का आयोजन युवाओं में ई-स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। सफल आयोजन के लिए स्कायरोड्समिट्स की पूरी टीम, प्रतिभागियों एवं सहयोगी संस्थाओं की सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में प्रो. नेहा भारद्वाज द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

पंच परिवर्तन अपनाकर बदलें देश की दिशा और दशा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 27 जनवरी. मंगलवार को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए। जिसमें वक्ताओं ने बच्चों को शिक्षित-संस्कारवान बनाने, पंच परिवर्तन-सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्व बोध और नागरिक कर्तव्य अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये बिंदु देश की दिशा-दशा बदलने वाले हैं, जिन्हें घर से ही अपनाना चाहिए। जात-पात भुलाकर हिंदू एकता का संदेश दिया गया।

सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में सूबे की गोठ बस्ती का हिंदू सम्मेलन कैलाश टॉकीज के समीप होटल ए पार्क के सामने आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त बौद्धिक प्रमुख पंकज शर्मा ने कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। त्रेता में भगवान श्रीराम ने, द्वापर में श्रीकृष्ण ने, कलियुग में डॉ. हेडगेवार ने जन्म लिया और उन्होंने देश की रक्षा के लिए संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हिन्दू कभी पतित नहीं होता। उन्होंने संघ के विविध संगठनों के बारे में कहा कि विविध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए संघ विचार के 35 संगठन कार्य कर रहे हैं। पंच परिवर्तन से एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनेगा। मुख्य अतिथि संतोष गुरू और विशिष्ट अतिथि सरिता पटेल वसुधैव कुटुंबकम और कुटुंब प्रबोधन की प्राथमिकता बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी विनायक गुप्ता ने की। संचालन विवेक भार्गव ने किया। भारत माता की आरती से कार्यक्रम का समापन हुआ। व्याप्ति उमड़ेकर ने गीत प्रस्तुत किया।

मुरार में घोसीपुरा बस्ती का हिंदू सम्मेलन राम जानकी मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाल टिपारा गौशाला के संत स्वामी ऋषभदेवानंद महाराज, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के सह संपर्क प्रमुख नवल शुक्ला, विशेष अतिथि आरती गुर्जर रहीं। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र पाल मौजूद थे।

ग्वालियर विकास समिति का 47वां अभिनंदन समारोह आयोजित

ग्वालियर 27 जनवरी. शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति का 47 व अभिनंदन समारोह गणतंत्र दिवस पर समारोह हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक अमित सांघी, कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य ने की विशेष अतिथि संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.स्मिता सहस्त्रबुद्ध संस्था के अध्यक्ष डॉ राकेश रायजादा, डॉ. ए.एस. भल्ला, डॉ. सुनील कुमार राठौर ने सॉल्, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, मोती की माला एवं पौध देकर सम्मान किया सम्मान समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल, अतुल सिंह एसडीएम, संजय टंडन कमांडेंट बीएसएफ, डॉ. सोनल कुलश्रेष्ठ, डॉ. अविनाश शर्मा, डॉ के.पी. बरेटिया, सब इंस्पेक्टर रजनी रघुवंशी, मिनी शर्मा शासकीय अधिवक्ता, सुशील बाथम वैज्ञानिक, गजेंद्र सिंह राठौड़ स्टेशन प्रबंधक, डॉ. करुणा मरकाम सह प्राध्यापक, सोनू तिवारी सहायक जेल अधीक्षक, श्रीमती किरण वर्मा (पार्षद), ओमप्रकाश कुकरेजा समाजसेवी, रतन सिंह मोहनिया विपणन प्रबंधक, दिवाकर शर्मा सहायक अधीक्षक पोस्ट ऑफिस, प्रो. राजेंद्र खटीक जीवाजी विश्वविद्यालय, श्रीमती देवश्री तिवारी उपप्रबंधक, सुष्मिता शाक्य खिलाड़ी, उमेंद्र वर्मा चित्रकार, सुनील राठौर का सम्मान किया गया

व्हीआईएसएम में मना गणतंत्र दिवस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 27 जनवरी. व्हीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज में 77वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति, उत्साह और गरिमामय वातावरण के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में संस्थान की चेयरपर्सन सरोज राठौर ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। ध्वजारोहण उपरांत एनसीसी कैडेट्स द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया गया। कैडेट्स की अनुशासित चाल, एकरूप वेशभूषा और समर्पण ने उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। परेड के दौरान 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके पश्चात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, समूह नृत्य, एकल नृत्य एवं लघु नाटिका की प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा, संविधान की महत्ता तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों की कला, आत्मविश्वास एवं मंचीय अनुशासन को उपस्थित अतिथियों ने सराहा। इस अवसर पर चेयरमैन डॉ. सुनील कुमार सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि युवा वर्ग ही देश का भविष्य है और शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। जब हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरी नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्रहित में रहकर करेंगा तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ ली। पूरे आयोजन में देशभक्ति, अनुशासन और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर संस्थान की ग्रुप निदेशक डॉ. प्रज्ञा सिंह, समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण सहित समस्त स्टॉफ व छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

नाम संशोधन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN) है जो कि मेरे रजिस्ट्री, बैंक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम ऊर्मिला जैन दर्ज है। ऊर्मिला जैन और रामढकेली जैन दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम ऊर्मिला जैन (URMILA JAIN) के स्थान पर रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम ऊर्मिला जैन (URMILA JAIN)
नया नाम रामढकेली जैन (RAMDHAKELI JAIN)
पति श्री राजेन्द्र जैन (RAJENDRA JAIN)
निवासी - वार्ड नं 11 सेवड़ा मौ भिंड म.प्र.-477222

नाम संशोधन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम **शांति देवी (SHANTI DEVI)** है जो कि मेरे स्व पति के पेशन पी.पीओ में बैक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम **शांति देवी** दर्ज है। **शांति देवी (SHATI DEVI)** और **शांति देवी (SHANTI DEVI)** दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **शांति देवी (SHATI DEVI)** के स्थान पर **शांति देवी (SHANTI DEVI)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **शांति देवी (SHANTI DEVI)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जाये।

पुराना नाम- शांति देवी (SHATI DEVI)
नया नाम- शांति देवी (SHANTI DEVI)
पति स्व. कृष्ण बिहारी (KRISHNA VIHARI)
निवासी बरुअनापुरा, लहार भिड म.प्र.-477445

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22-01-2026 को प्रकाशित नामांकन सूचना में त्रुटिवश विज्ञप्ति जारी दिनाक 21-12-2025 गलत छाप गया है जिसका वास्तविक विज्ञप्ति जारी दिनाक 21-01-2026 पढ़ा जावे शेष यथावत रहेगा।
आवेदक का नाम
तरुण गुप्ता / जीतेन्द्र गुप्ता

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22-01-2026 को प्रकाशित नामांकन सूचना में त्रुटिवश विज्ञप्ति जारी दिनाक 21-12-2025 गलत छाप गया है जिसका वास्तविक विज्ञप्ति जारी दिनाक 21-01-2026 पढ़ा जावे शेष यथावत रहेगा।
आवेदक का नाम
राधा कनोरिया / लालता प्रसाद कनोरिया

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर- सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0090/अपील/2023-24

कैलाश सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासी 106 विनय नगर सेक्टर नं. 04 ग्वालियर ..... अपीलांट

बनाम

1- मोहर सिह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 2- राकेश सिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 3- मीरा पुत्री स्व. श्री पहाड़ जाति किरार, 4- कोकसिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 5-उदयसिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासीगण ग्राम सुसैरा, जिला ग्वालियर ....रेस्पोडेंटगण

फार्मल पक्षकार

(अ) फेरन सिंह पुत्र श्री करन सिंह, (ब) बालकिशन पुत्र श्री करन सिंह फोत वारिसान (ब-1) सुरेश राजपूत, (ब-2) महेश राजपूत पुत्रगण स्व. श्री बालकिशन निवासी रसूलाबाग की गली के सामने चार शहर का नाका, रोड, हजीरा ग्वालियर (स) रामजीलाल पुत्र स्व. चतुरसिंह फोत वारिसान (स-1) वीरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व. रामजीलाल, (स-2) अशोक राजपूत पुत्र स्व. रामजीलाल फोत वारिसान (स-2A) संजय राजपूत पुत्र श्री अशोक राजपूत पता-राजपूत बुक स्टेशनरी पटेल स्कूल के पास, हजीरा, ग्वालियर (द) रमेश पुत्र श्री चतुर सिंह, (घ) बैजन्ती पुत्र श्री चतुरसिंह जाति किरार निवासीगण ग्राम सुसैरा जिला ग्वालियर .... रेस्पोडेंटगण

// सूचना पत्र //

एतद् द्वारा जरिये सूचना पत्र रेस्पोडेंटगण को सूचित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री एन. एन. शर्मा द्वारा ग्राम सुसैरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 27/13.07.2009 आदेश दिनांक 20.08.2009 के विरूद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-0090/अपील/2023-24 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 6.2.2026 नियत की गई है। अत: नियत दिनांक को रेस्पोडेंट्स अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझता हो, स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालयीन समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा। तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 21.1.2026 को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर-सिटी

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती सुमन बघेल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह बघेल ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 22 व 23 स्थित ग्राम बड़ागाँव मुरार जिला ग्वालियर में है जो कि सर्वे क. 801/1/1 का भाग जिसका कुलक्षेत्र 685 वर्गफुट है जिसका म्यु. वार्ड क्र. 61 है। जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता मनोज सिंह राजपूत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के पारिवारिक सदस्य जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है :- पूर्व में-रोड, पश्चिम में-अन्य सम्पत्ति, उत्तर में - प्लॉट क्र. 23, दक्षिण में-प्लॉट क. 22 जिसका कुल क्षेत्रुफल 685 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेता मनोज सिंह राजपूत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 22 एंव 23 मेरी पक्षकारा श्रीमती सुमन बघेल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह बघेल को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता परिवार के किसी सदस्य जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 15 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती सुमन बघेल पत्नी श्री महेन्द्र सिंह बघेल अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 22 एंव 23 का कुल क्षेत्रुफल 685 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा जैना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रही है।

दिनांक -27.01.2026
स्थान- ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरारी ग्वालियर
मो. 9300981954

CHANGE OF NAME

I, NISHA Daughter of Army Service No. 15173348Y Rank- NK Name- BHIM SINGH YADAV Residing at Village & Post- Joriya, Tehsil-Kotkasim, District- Alwar, State- Rajasthan, Pin-301702 have changed my Name from **NISHA YADAV** to **NISHA** due to mismatch in my Father's Army Service Record.

Vide Affidavit No. BX 192235 Dated 17/01/2026 before High Court, Gwalior M.P.

(2nd Notice)

Mrs. Priyanka Banwani
(PF-8537178) Associate
Madam,
STAFF AWARD: UNAUTHORISED LEAVE

This is with reference to our first notice letter No. Branch/IA Malanpur/HR/2025-26 Dated 21.08.2025 regarding your unauthorized absence from duty from 19.03.2025 without obtaining permission from reporting/controlling authority. Despite the first warning, we note with concern that you have continued to remain absent from [19.03.2025] till date without submitting any valid reason or documentation. This is a serious violation of Bank's award service rules and reflects negligence and lack of responsibility towards your duties. You are hereby issued this second notice to explain the reason for your continued unauthorized absence within 3 days from receipt of this notice. The above positive is highly irregular and in contravention of the rules governing your service in the bank. You are therefore, hereby advised to report for duty within 30 days of the date of this notice, failing which you will be deemed to have voluntarily retired from the service on the expiry of this notice. In this case you would also be liable to pay the bank 14 days/one month's pay and allowances in lieu of the notice. We urge you to treat this matter with utmost urgency and respond immediately.

Yours Faithfully
Branch Manager
bank.sbi
9993032136
Sbi.09764@sbi.co.in

SBI I A MALANPUR BRANCH BHIND, MP

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर- सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0020/अपील/2025-26

कैलाश सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासी 106 विनय नगर सेक्टर नं. 04 ग्वालियर ..... अपीलांट

बनाम

1- मोहर सिह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 2- राकेश सिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 3- मीरा पुत्री स्व. श्री पहाड़ जाति किरार, 4- कोकसिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 5-उदयसिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासीगण ग्राम सुसैरा, जिला ग्वालियर ....रेस्पोडेंटगण

फार्मल पक्षकार

(अ) फेरन सिंह पुत्र श्री करन सिंह, (ब) बालकिशन पुत्र श्री करन सिंह फोत वारिसान 1. सुरेश राजपूत, 2. महेश राजपूत पुत्रगण स्व. श्री बालकिशन निवासी रसूलाबाग की गली के सामने चार शहर का नाका, रोड, हजीरा ग्वालियर (स) रामजीलाल पुत्र स्व. चतुरसिंह फोत वारिसान 1. वीरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व. रामजीलाल, 2. अशोक राजपूत पुत्र स्व. रामजीलाल फोत वारिसान (A) संजय राजपूत पुत्र स्व.श्री अशोक राजपूत निवासी- राजपूत बुक स्टेशनरी पटेल स्कूल के पास, हजीरा, ग्वालियर (द) रमेश पुत्र श्री चतुर सिंह, जाति किरार निवासीगण ग्राम सुसैरा जिला ग्वालियर .... रेस्पोडेंटगण

// सूचना पत्र //

एतद् द्वारा जरिये सूचना पत्र रेस्पोडेंटगण को सूचित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री एन. एन. शर्मा द्वारा ग्राम सुसैरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 09/26.06.2012 आदेश दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-0020/अपील/2025-26 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 6.2.2026 नियत की गई है। अत: नियत दिनांक को रेस्पोडेंट्स अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझता हो, स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालयीन समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा। तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 21.1.2026 को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर-सिटी

In The Court Of I Civil Judge Junior Division, District Court, Shivpuri

Presiding Officer: सुश्री काजल नायक
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000006/2026)
इन्दल सिंह यादव.. ....वादी
Vs
सर्वसाधारण.......प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 14/02/2026

प्रेषिती-
(1) सर्वसाधारण पता- पोहरी जिला शिवपुरी मप्र

यह कि प्रार्थी इन्दल सिंह यादव ने आपके विरूद्ध आर सी एस प्रकरण के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 24 Januar4 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
सुश्री काजल नायक
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पोहरी, जिला लिवपुरी (म.प्र.).

टिप्पणी :-सूचना
कृपया ध्यान दें :-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

In The Court Of I Civil Judge Junior Division, District Court, Shivpuri

Presiding Officer: सुश्री काजल नायक
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000008/2026)
लक्ष्मण धाकड़............वादी
Vs
सर्वसाधारण.............प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 17/02/2026

प्रेषिती-
(1) सर्वसाधारण पता- पोहरी जिला शिवपुरी मप्र

यह कि प्रार्थी लक्ष्मण धाकड़ ने आपके विरूद्ध आर सी एस प्रकरण के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 24 January 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
सुश्री काजल नायक
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
पोहरी, जिला लिवपुरी (म.प्र.)

टिप्पणी :-सूचना
कृपया ध्यान दें :-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य), ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0020/अपील/2025-26
कैलाश सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासी 106 विनय नगर सेक्टर नं. 04 ग्वालियर
--अपीलांट

1-गोहर सिंह पुत्र ग्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरारा, 2. राकेश सिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह जाति किरार, 3-मीरा पुत्री स्व. श्री पहाड़ जाति किरार, 4-कोक सिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ जाति किरार, 5-उदय सिंह पुत्र स्व. श्री पहाड़ सिंह निवासीगण ग्राम सुसेरा, जिला ग्वालियर
रेस्पोडेंटगण

फार्मल पक्षकार
(अ) फेरन सिंह पुत्र श्री करन सिंह, (ब) बालकिशन पुत्र श्री करन सिंह फोत वारिसान 1. सुरेश राजपूत, 2- महेश राजपूत पुत्रगण स्व. श्री बालकिशन निवासी रसुलाबाग की गली के सामने चार शहर का लोका, रोड, हजीरा, ग्वालियर (स) रामजीलाल पुत्र स्व. चतुर सिंह फोत वारिसान 1-वीरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व. रामजीलाल, 2-अशोक राजपूत पुत्रगण स्व. रामजीलाल फोत वारिसान (.) संजय राजपूत पुत्र स्व. अशोक राजपूत निवासी राजपूत बुक स्टेशनरी पटेल के स्कूल के पास हजीरा, (द) रमेश पुत्र श्री चतुर सिंह जाति किरार निवासीगण ग्राम सुसेरा जिला ग्वालियर
-- रेस्पोडेंटगण

// सूचना पत्र //

एतदू द्वारा जरिये सूचना पत्र रेस्पोडेंटगण को सूचित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से अभिभावक श्री एन.एन. शर्मा द्वारा ग्राम मदनपुरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 09/26.06.2012 आदेश दिनांक 24.07.2012 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 0020/अपील/2025-26 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 6.2.-2026 नियत की गई। अतः नियत दिनांक को रेस्पोडेंट्स अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझाता हो स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालयीन समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 21-1-2026. को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर सिटी

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 394 राजस्व ग्राम सहराई का भाग होकर वार्ड क्रमांक 08, ग्राम सहराई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम में अन्य की भूमि, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में विक्रेता की भूमि स्थित है. उक्त संपत्ति को आवेदक श्री हर्षित शर्मा पुत्र श्री रामसेवक शर्मा निवासी ग्राम खेडीनटवा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर. म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी/अनुबंधकर्ता श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी ग्राम सुल्तानपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र. से कय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है।

यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/ व्यक्तियों को उक्तसंपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रम, विनमय, बंधक (साम्यिक/ रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रूप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक: 27/12/2025

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्या. 44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायालय माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक - 1189 / 2025 हि.वि.अधि
नितिन कुमार शर्मा ......आवेदक
बनाम
श्रीमती वर्षा शर्मा (सुपेकर) .....अनावेदिका

बनाम- अनावेदिका श्रीमती वर्षा शर्मा (सुपेकर) पत्नि श्री नितिन कुमार शर्मा, पुत्री श्री सुरेश बालचन्द्र राव सुपेकर आयु 42 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट कार्य, निवासी वन स्टॉप सेंटर, टीवी वार्ड के सामने, जे.एच. परिसर, कम्पू, जिला ग्वालियर म.प्र.

'सूचना पत्र'

यहकि, आवेदक नितिन कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री विनोद शर्मा निवासी वार्ड नं 54, फरीद आटो सर्विस के उपर, चनाकोठार चौराहा कम्पू लश्कर ग्वालियर म क्प्रक्के द्वारा आपके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष याचिका अनतर्गत धारा 13 एच.एम.प्र के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

अत: जरिये सूचना पत्र से आप अनावेदिका श्रीमती वर्षा शर्मा (सुपेकर) को सूचित किया जाता हैं कि इस संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 20/02/2026 को प्रात: 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता हैं अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी। आज दिनांक 6/1/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(श्री अजयकांत पाण्डेय)
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ग्वालियर म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006

क्रमांकः एडीएम/वि. अधि./आशायित विवाह : (12)/2026 ग्वालियर दिनांकः 14 जनवरी, 2026

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण रौनक सिंह पुत्र श्री रघुविन्दर सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी- एफ-10, चेतकपुरी गिर्द, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. एवं खुशमीत कौर पुत्री श्री सुरेन्दर सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम पठा पनिहार, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा दिनांक 14.01.2026 को साक्षीगणों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम 1954 आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुये आशयित विवाह हेतु धारा 5 के अन्तर्गत सूचना देकर तीन कलेन्डर मास के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होना आशयित दर्शाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन में वर एवं वधू द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवेदक आवेदित दिनांक को अविवाहित हैं। वर द्वारा 21 वर्ष एवं वधू द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उनकी आपस में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं है। यह भी घोषणा की गयीहै कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अंदर आपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 03, वार्ड क्रं 07, स्थान गंगा बिहार रानीपुरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि उपेन्द्र सिंह परमार/सुरेश सिंह परमार,सन्जू रजक/महेश रजक के नाम से नगर निगम में आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602016ए1132647 दिनांक 09.03.2016 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा क्षे.क्र 03, पर दिनांक 22.01.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 75/2011/54837/54766 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
अंजना चौहान/राजेन्द्र सिंह चौहान
पता- गंगाबिहार रानीपुरा ग्वा0(म.प्र.), मो0-9412300870
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 27.01.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 24, वार्ड क्रं 65, स्थान वीरपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि हेमन्त, रामकिशन,रामबाई,गुड्डी,नत्थू/स्व. नारायण सिंह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000098673 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड ग्रंथ क्रं 12853 दिनांक 03.07.2001 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्र 24, पर दिनांक 27.01.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
अरूतरी बेगम/इनतिहाज मोहम्मद
पता-वीरपुर ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 27.01.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 20, वार्ड क्रं 47, स्थान फ्लैट क्रं 302, सांई अपार्टमेंट,जम्बूर खाना ग्वा0 मे स्थित है जो कि गोपाल कृष्ण सोनी/कमलेशचन्द सोनी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000180712 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602020ए1204262 दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20, पर दिनांक को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
राघव तिवारी/ओमप्रकाश तिवारी
पता-सांई अपार्टमेंट,जम्बूरखाना ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 27.01.2026